बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
अधिसूचना

अधिसूचना संख्या –1/विविध–83/2013 (खंड) 3385(S) पटना, दिनांक : 8/5/18

गृह (विशेष) विभाग के पत्र संख्या–277 दिनांक 03.02.2009 द्वारा यह निर्णय संसूचित किया गया था कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम–2000 के अंतर्गत अंतिम रूप से बिहार एवं झारखण्ड राज्य आवंटित कर्मियों का पारस्परिक सहमति के आधार पर किये गये राज्य स्थानांतरण में वरीयता का दावा मान्य नहीं होगा। अर्थात् उक्त आधार पर स्थानांतरित कर्मी उस राज्य में अपने कोटि सवंर्ग में नियुक्ति/पदोन्नति के वर्ष में कनीयतम हो जायेंगे।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या–11299 (एस) दिनांक 02.08.2010 द्वारा पथ निर्माण विभाग के बिहार अभियंत्रण (असैनिक) सेवा वर्ग के सभी ग्रेड के अभियंताओं की सिविल लिस्ट एवं विभागीय अधिसूचना संख्या–3953 (एस) दिनांक 04.04.2011 द्वारा पथ निर्माण विभाग के बिहार अभियंत्रण (असैनिक) सेवा वर्ग के सभी ग्रेड के पदाधिकारियों का वरीयता सूची अंतिम रूप से प्रकाशित की गयी थी। जिसमें गृह (विशेष) विभाग के पत्र संख्या–277 दिनांक 03.02.2009 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश का अनुपालन किया गया था।

3. पुनः गृह (विशेष) विभाग के पत्र संख्या–13780 दिनांक 19.09.2011 द्वारा पत्र संख्या–277 दिनांक 03.02.2009 के क्रियान्वयन पर दिनांक 03.02.2009 के प्रभाव से रोक लगायी गयी। तद्आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–14199 (एस) दिनांक 26.12.2011 द्वारा सहायक अभियंता से ऊपर के स्तर के 42 अभियंताओं का सिविल लिस्ट क्रमांक, अधिसूचना संख्या–14201 (एस) दिनांक 26.12.2011 द्वारा 12 सहायक अभियंताओं के वरीयता क्रमांक, अधिसूचना (शुद्धि–पत्र) संख्या–2012 (एस) दिनांक 22.02.2012 द्वारा 2 अभियंताओं के सिविल लिस्ट क्रमांक तथा अधिसूचना संख्या–4556 (एस) दिनांक 26.04.2012 द्वारा 42 कार्यपालक अभियंताओं के वरीयता क्रमांक में संशोधन किया गया, जिसे गृह (विशेष) विभाग के पत्र संख्या–2372 दिनांक 11.03.2016 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–2226 (एस) दिनांक 28.03.2016 द्वारा उनके निर्गत की तिथि से निरस्त किया गया।

4. मूल वरीयता पुनर्स्थापित करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न वाद यथा CWJC No.-6153/2017 (सूर्यकान्त बनाम बिहार राज्य एवं अन्य), CWJC No.-6210/2017 (छविशंकर वर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) तथा CWJC No.-8672/2017 (अशोक कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समेकित रूप से पारित आदेश दिनांक 18.09.2017 के अनुपालन के क्रम में गृह विभाग के माध्यम से प्राप्त विधि विभाग के मंतव्य के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–11299 (एस) दिनांक 02.08.2010 द्वारा निर्गत सिविल लिस्ट तथा अधिसूचना संख्या–3953 (एस), दिनांक 04.04.2011 द्वारा निर्गत वरीयता सूची में माननीय उच्चत्तम न्यायालय में गृह विशेष विभाग द्वारा दायर SLP (C)-3216/2017 (बिहार राज्य बनाम आदित्य नारायण राय) के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त के साथ पथ निर्माण विभाग संवर्ग के वादीगण अभियंताओं का विभागीय अधिसूचना संख्या–11299 (एस०) दिनांक 02.08.2010 द्वारा निर्गत सिविल लिस्ट क्रमांक एवं विभागीय अधिसूचना संख्या–3953 (एस०) दिनांक 04.04.2011 द्वारा निर्गत वरीयता सूची क्रमांक में संशोधन किया गया है।

5. विभागीय अधिसूचना संख्या–303 (एस०), दिनांक 10.01.2014 द्वारा पथ निर्माण विभाग में कार्यरत वर्ग–1 के अभियंताओं का औपबंधिक वरीयता सूची प्रकाशित की गयी थी ; जिसे कतिपय कारणवश अंतिम रूप नहीं दिया जा सका एवं सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–4800, दिनांक 01.04.2016 के आलोक में मूल कोटि के वरीयता के आधार पर विभागीय अधिसूचना संख्या–1841 (एस०) दिनांक 02.03.2017 द्वारा नए सिरे से औपबंधिक वरीयता सूची प्रकाशित की गई। यह औपबंधिक वरीयता सूची अंतिम सिविल लिस्ट अधिसूचना संख्या–11299 (एस०) दिनांक 02.08.2010 एवं शुद्धि पत्र अधिसूचना संख्या–10326 (एस०) दिनांक 14.09.2012 से अभिप्रेरित है तथा इसमें गृह विशेष विभाग के ज्ञापांक–2372, दिनांक 11.03.2016 से प्राप्त निदेश का अनुपालन किया गया है।

6. कंडिका–4 में वर्णित माननीय उच्च न्यायालय में विभिन्न सी०डब्ल्यू०जे०सी० वाद तथा इस क्रम में उद्भूत एम०जे०सी०नं०–3401/2017 (अशोक कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.04.2018 एवं दिनांक 28.03.2018 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–303 (एस०), दिनांक 10.01.2014 एवं अधिसूचना संख्या–1841 (एस०), दिनांक 02.03.2017 द्वारा निर्गत औपबंधिक वरीयता सूची में माननीय उच्चतम न्यायालय में गृह विशेष विभाग द्वारा दायर SLP (C)3216/2017 (बिहार राज्य बनाम आदित्य नारायण राय) के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त पर निम्न वादीगण अभियंताओं का औपबंधिक वरीयता क्रमांक निम्न रूपेण संशोधित किया जाता है :–

क्र० सं०	**आवेदक का नाम**	**विभागीय अधिसूचना संख्या–303 (एस), दिनांक 10.01.2014 द्वारा निर्गत औपबंधिक वरीयता सूची में संशोधन**		**विभागीय अधिसूचना संख्या–1841 (एस), दिनांक 02.03.2017 द्वारा निर्गत औपबंधिक वरीयता सूची में संशोधन**	
		वर्त्तमान वरीयता क्रमांक	संशोधित वरीयता क्रमांक	वर्त्तमान वरीयता क्रमांक	संशोधित वरीयता क्रमांक
1	**2**		**3**		**4**
1	श्री सूर्यकान्त	57	51A	48	8A
2	श्री छवि शंकर वर्मा	-	70A	51	11A
3	श्री दीपक कुमार सिंह	83	83	52	13A
4	श्री अशोक कुमार झा	101	90A	54	17A

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(रत्नेश कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :1/विविध–83/2013 (खंड) 3386 (S) पटना, दिनांक :8.5.18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(रत्नेश कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 1/विविध–83/2013 (खंड) 3386 (S) पटना, दिनांक :8.5.18

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा–आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।

ह०/–

(रत्नेश कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 1/विविध–83/2013 (खंड) 3386 (S) पटना, दिनांक :8.5.18

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव, गृह विभाग/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/माननीय मंत्री, के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(रत्नेश कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 1/विविध–83/2013 (खंड) 3386(S) पटना, दिनांक : 8/5/18

प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को इस अधिसूचना की प्रति सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रचारित करने हेतु प्रेषित।

8.5.18

(रत्नेश कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

D:\BINOD\DEEPAK JEE\NOTIFICATION FOLDER 2018\NOTIFICATION 04-05-2018.DOCX